न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 16/2018

1. रामकुवार पुत्र स्व. कजोड
2. गोपाल पुत्र रामकरण
   समस्त जाति जाट निवासीः ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. जौहरी लाल पुत्र हरबक्श
2. मदन पुत्र रामलाल
   समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. गोपी देवी पत्नि स्व. कजोड
4. फूलचन्द पुत्र स्व. कजोड
5. मन्नी देवी पत्नि रामचन्द्र
6. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र
   समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. छीतर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासीः ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. कमला बेवा रामनाथ जाति जाट, निवासीः बोयतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर वाद संख्या 202/2007 उनवानी जौहरी लाल बनाम गोपी देवी व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री रामवतार शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री शिवसिंह चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
श्री हनुमान सहाय सिंहाग एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ल. 7

निर्णय दिनांकः 24.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के वाद संख्या 202/2017 बउनवानी जौहरीलाल बनाम गोपी देवी व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 26.10.2017 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 आपस में भाईबंध है। वादी व प्रतिवादी संख्या एक लगायत आठ की संयुक्त साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 14, 17, 43, 44, 45, 49, 53, 60, 78, 82, 88, 90, 93, 94, 99, 230, 350, 351, 366 367, 374, 377, 378, 377/449, 386/457, 379/453, 214/405, 289/423, 403/475, 315/429, 289/424, 363/446, 279/450, 386/455 एवं 386/456 कुल किता 31 कुल रकबा 67 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर में वादीगण के पिता हरबक्श का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच के दादा व दादा ससुर कालू व प्रतिवादी संख्या छः व सात के पिता रामकरण का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या आठ के पति रामनाथ का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था। उक्त साबिक खसरा नंबरान बाबत एक मुकदमा पूर्व में हरबक्स बनाम कालू मान्य न्यायालय सहायक जिलाधीश नंबर 1 जयपुर में पेश किया गया था जिसमें दिनांक 03.01.1984 को एक राजीनामा पेश किया गया था जिसके अनुसार खसरा नंबर 113 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 131/410 रकबा 9 बीघा जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा राजीनामा के अनुसार आया था। उक्त आराजीयात का बंटवारा जो कि दिनांक 03.01.84 को पेश किया था उसमें साबिक खसरा नंबर 113 व 131/410 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में 1/3 हिस्सा यानि 4 बीघा 5 बिस्वा वादीगण के हिस्से में आया था उक्त साबिक खसरा नंबर 113 के हाल खसरा नंबर 190 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 191 रकबा 0.26 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नंबर 131/410 के हाल खसरा नंबर 194 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 196 रकबा 1.13 हैक्टेयर व खसरा नंबर 191/602 रकबा 0.08 हैक्टेयर बने जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 होना चाहिये। उक्त गलती का पता वादीगण को तब चला जब दिनांक 05.06.2007 को प्रतिवादी संख्या एक ता सात जबरन वादीगण के कब्जे काश्त वाली जमीन पर आये और वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी देने लगे तब वादीगण ने उक्त आराजीयात से संबंधित रिकॉर्ड निकलवाया व कानूनी सलाह ली तो पता चला कि खसरा नंबर 190, 191, 194, 196 एवं 191/602 में हिस्सा 1/3 वादीगण के बजाय प्रतिवादी संख्या एक लगायत आठ के नाम से गलत रूप से लगा दी। इस कारण वादीगण को यह वाद वास्ते घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 190, 191, 194, 196 एवं 191/602 वाके ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या एक लगायत आठ के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किया जावे। प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात का विक्रय, रहन, बक्शीश इत्यादि किसी दीगर व्यक्ति को तब तक नहीं करे, जब तक उक्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हो जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 26.10.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 01.03. 2017 को निर्णित किया जा चुका था बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर वाद को पुनः नंबर पर लेकर अपीलान्ट को कोई सूचना दिये एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 26.10.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व एवं रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में पूर्व में भी एक वाद हरबक्श बनाम कालू एसीएम प्रथम के समक्ष प्रस्तुत हुआ था जिसमें पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर दिनांक 03.01.1984 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी थी। राजीनामा के आधार पर पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादीगण के पूर्वज हरबक्श को साबिक खसरा नंबर 113 व 131/410 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। किन्तु डिक्री के आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 5 में साबिक खसरा नंबर 113 व 131/410 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा की भूमि का अंकन वादीगण के पूर्वज हरबक्श के हक में नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पूर्व में पारित राजीनामा व डिक्री की अक्षरशः पालना किये जाने बाबत ही निर्णय पारित किया गया है, कोई नवीन निर्णय पारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1992 आर.आर. डी. पेज 117, 1999 आर.आर.डी. पेज 514, 1991 आर.आर.डी. पेज 99, 1993, आर.आर.डी. 821, 1998 आर.बी.आई 615, ए.आई.आर 2011 पेज 1237, 2014 (1) आर.आर.टी पेज 154 पेश किये।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.10.2017 के माध्यम से स्वीकार कर वादी को खातेदारी प्रदान की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में पूर्व में भी एक वाद हरबक्श बनाम कालू एसीएम प्रथम के समक्ष प्रस्तुत हुआ था जिसमें पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर दिनांक 03.01.1984 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी थी। इस कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.1984 से उभयपक्षकारान साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुरूप (Esstopped) एस्टॉप्ड है। उक्त राजीनामा को देखने से स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज हरबक्श के हिस्से में साबिक खसरा नंबर 113 व 131/410 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा होना अंकित है। राजीनामा के आधार पर पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादीगण के पूर्वज हरबक्श को साबिक खसरा नंबर 113 व 131/410 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। किन्तु डिक्री के आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 5 में साबिक खसरा नंबर 113 व 131/410 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा की भूमि का अंकन वादीगण के पूर्वज हरबक्श के हक में नहीं किया गया। इस कारण राजस्व कर्मचारियों के द्वारा 03.01.1984 की अक्षरशः पालना नहीं किये जाने से पालना से रहित खसरा नंबरान की पालना करवाये जाने हेतु वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें सरकारी पैरोकार तहसीलदार द्वारा भी दिनांक 18.07.2016 को विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण दिया गया था कि राजीनामा की डिक्री दिनांक 03.01.1984 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 113 एवं 131/410 में से 1/3 हिस्सा हरबक्श पुत्र हुक्मा के हित में खातेदारी दिये जाने का निर्णय हुआ था एवं उक्त निर्णय के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना शेष है। उपरोक्त तथ्यों से वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। सी.पी.सी. की धारा 54 के प्रावधान अनुसार न्यायालय की ऐसी डिक्री व निर्णय जिसमें सरकार के लिये राजस्व निर्धारित हो, की पालना करवाये जाने का भार व दायित्व पक्षकार पर न होकर राजस्व अधिकारी व कर्मचारी पर होना वर्णित है। किन्तु राजस्व कर्मचारी द्वारा राजीनामा व डिक्री दिनांक 03.01.1984 के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में पालना न कर वादीगण को खातेदारी अधिकारों से वंचित किया गया है जो राजीनामा व डिक्री के विपरीत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। मिलान क्षेत्रफल से उक्त साबिक खसरा नंबर 113 व 131/410 के हाल नंबर खसरा नंबर 190, 191, 194, 196 एवं 191/602 बनना प्रमाणित है। इस कारण उपरोक्त विवेचन अनुसार व राजीनामा व डिक्री दिनांक 03.01.1984 के अनुसार वादीगण साबिक खसरा नंबर 113, 131/410 के हाल नंबर खसरा नंबर 190, 191, 194, 196 एवं 191/602 में से 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हक अधिकारी पाये जाते है जिन्हे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2017 को सही खातेदारी प्रदान की गई है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुति की मियाद 60 दिवस के पश्चात् दिनांक 11.01.2018 को अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की सम्यक रूप से तामील होने के पश्चात् अपीलान्ट मय अधिवक्ता दिनांक 07.09.2007 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वाद पत्र की कार्यवाही में निरन्तर रूप से सम्मिलित थे। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता को वाद की संपूर्ण कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रारंभ से ही रही है बावजूद इसके अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर उदासीन रहते हुये अपील देरी से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा देरी बाबत जो कारण वर्णित किये गये है वह सद्भाविक प्रतीत नहीं होते है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य पायी जाती है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पूर्व में पारित राजीनामा व डिक्री की अक्षरशः पालना किये जाने बाबत ही निर्णय पारित किया गया है, कोई नवीन निर्णय पारित नहीं किया गया है जो विधिनुसार राजीनामा के आधार पर निर्णित होने से अपील किये जाने योग्य प्रकरण ही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा आधारहीन तथ्यों के आधार अपील प्रस्तुत की गई है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर सही निर्णय पारित किया है जिसमे मेरे विनम्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मत में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक २५.१२.२०१७ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जयपुर (राजस्थान)